सूचना
का
अधिकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/18)लोसू/आकाशि/2005/ 993 दिनांक:– 11-6-19

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, (सूचीनुसार)
राजस्थान।

विषय:–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में। ————

निर्देशानुसार उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर ने अवगत कराया है कि सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर के पत्र दिनांक 4–4–19 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर तत्काल सूचना आयोग को भिजवाने हेतु लिखा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में सूचना इस विभाग के पत्रांक 1471 दिनांक 2–8–18 (प्रति संलग्न) (स्मरण पत्र दिनांक 30–1–19, 22–3–19) के द्वारा निम्नलिखित प्रारूप–1 व प्रारूप–2 में सूचना भरकर 07 दिवस में श्री के.के. गुप्ता, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302015 के पते पर स्पीड पोस्ट से भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि निम्नलिखत सूचीनुसार राजकीय महाविद्यालयों की सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है :–

राजकीय महाविद्यालय की सूची

1	कन्या अजमेर	16	सीमलवाड़ा
2	विधि अजमेर	17	बी.बी.डी. चिमनपुरा
3	मुडांवर	18	भीनमाल
4	बासकृपालनगर	19	जालोर
5	कुशलगढ़	21	पिडावा
6	छबड़ा	22	चौमहला
7	अटरू	23	शेरगढ़
8	कांमा	24	इटावा
9	नगर	25	प्रतापगढ़
10	नदबई	26	छोटी सादड़ी
11	बिजौलिया	27	देवगढ़
12	डूँगरपुर	28	कन्या सीकर
13	बड़ी सादड़ी	29	कला सीकर
14	राजाखेड़ा	30	टोड़ारायसिंह
15	बसेड़ी	31	कोटड़ा
		32	रानीवाड़ा

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि दोनों प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार कर jdadmn.cce@gmail.com पर भिजवायें, जिसकी एक प्रति डा. दीपक मेहरा, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस विभाग को भिजवायें, ताकि वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सूचना आयोग को भिजवाई जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मेहरा 11/6/19
(डॉ. दीपक मेहरा)
SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/18)लोसू/आकाशि/2005/ 993-995 दिनांक:– 11-6-19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(1)शिक्षा–3/2019 दिनांक 12–4–19 के संदर्भ में।
2. विभागीय वेबसाईट प्रभारी – आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।

मेहरा 11/6/19
(डा. दीपक मेहरा)
SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/17)लोसू/निकाशि/2005/1471 दिनांक:– 2-8-18

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित),
राजस्थान।

विषय:–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 25–6–18 के द्वारा अवगत कराया है कि सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर के पत्र दिनांक 16–5–18 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप–1 व प्रारूप–2 में भरकर राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को 07 दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दोनों प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार कर श्री के.के. गुप्ता, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,..

प्रारूप–1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत निस्तारित आवेदन
(समयावधि दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) समयावधि वर्ष 2017–18

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात्			
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट : कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

प्रारूप–2

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत निस्तारित
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण
(समयावधि दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) समयावधि सत्र 2017–18

कुल प्राप्त अपीलें (संख्या)	निस्तारित		लम्बित संख्या
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4

नोट : कॉलम 1=2+3+4

(राजेन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक :– एफ 20(101/127/18)लोसू/निकाशि/2005/1471-1473 दिनांक:– 2-8-18

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(1)शिक्षा–3/2017 पार्ट दिनांक 25–6–18 के संदर्भ में।

2 विभागीय वेबसाईट प्रभारी– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।

(के.के. गुप्ता)
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, (समन्वयक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।